



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15805

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 12657 वर्ष 2025

राम बाबू पटेल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

कामेश्वर सिंह, सुधांशु कुमार सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता:

धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. सूची को संशोधित किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर शपथ-पत्र (rejoinder affidavit) को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कामेश्वर सिंह, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री जे.के. चौरसिया को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- बबेरू, जिला- बांदा में मुकदमा अपराध संख्या 189 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 85, 351(4), 140(1), 103(1) बी.एन.एस. (BNS) के तहत जमानत की मांग कर रहा है।
4. अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक मृतक का पति है। दोनों के संबंध मधुर नहीं थे, जिसके कारण आवेदक ने परिवार न्यायालय, बांदा में तलाक की याचिका दायर की थी। मृतक दिनांक 17.10.2024 को उक्त मामले की सुनवाई हेतु गई थी और अपराह्न 02:00 बजे बांदा स्थित अपनी बहन के घर पहुंची थी, जिसके बाद वह अपने घर के लिए निकल गई थी।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। यह भी कहा गया है कि अपनी पत्नी से बात करना, भले ही उनके संबंध खराब थे, आवेदक के लिए स्वाभाविक है। उक्त कॉल विवरण (CDR) का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि आवेदक ने अपनी पत्नी की हत्या का अपराध किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि आवेदक का एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसे स्पष्ट कर दिया गया है। आवेदक दिनांक 19.10.2024 से जेल में निरुद्ध है, इस प्रकार कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक हो चुकी है और अब तक केवल एक गवाह का परीक्षण हुआ है। विचारण अत्यंत धीमी गति से चल रहा है, अतः आवेदक जमानत का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
8. विद्वान राज्य विधि अधिकारी एवं मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि आवेदक की निशानदेही पर नेल कटर और एक चाकू बरामद हुआ है, साथ ही उसके द्वारा पहने गए कपड़ों पर खून के धब्बे पाए गए थे, जिन्हें फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था।
9. मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि मृतक के मोबाइल के सीडीआर (CDR) से पता चलता है कि आवेदक ने उसे 17.10.2024 को 13:59 बजे फोन किया था और वह कॉल 27 सेकंड की थी। इसके बाद, 14:03 बजे आवेदक ने उसे फिर से फोन किया और 49 सेकंड तक बातचीत हुई, जो यह दर्शाता है कि आवेदक मृतक की गतिविधियों पर नज़र रख रहा था और रास्ते में उसे पकड़ लिया। उसका अपहरण करने के बाद, उसने उसकी हत्या कर दी और शव को गांव के पास छोड़ दिया, इसलिए आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।
10. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 SCC 648 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने में लगभग एक दिन के विलंब, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो यह स्थापित करे कि आवेदक के शरीर पर मिले खून के धब्बे मृतक के ही थे, और यह भी कि अपहरण तथा हत्या के अपराध का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए आधार बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
12. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- राम बाबू पटेल को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा। (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
13. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
14. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 21, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।